न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –196 / 2023

1. उदमीराम पुत्र श्योदान जाति जाट साकिन खुंईया तहसील नोहर।
2. मालाराम पुत्र खेताराम जाति जाट साकिन खुंईया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र मन्शाराम जाति गवारिया साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मन्शाराम जाति गवारिया साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. शान्ति पत्नी मन्शाराम जाति गवारिया साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. माया पत्नी परसाराम जाति नायक साकिन खुंईया तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल स0 1 व 4**

निर्णय दिनांकः 26/11/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खसरा न0 51 मिन की 14.05 बीघा भूमि जिस पर सम्वत 2012 से पहले से सायल न0 1 के पिता श्योदान पुत्र शेराराम 10 बीघा भूमि काश्त करते थे तथा शेष 4.05 बीघा भूमि सायल न0 2 के दादा के मामा नौरंग काश्त करते थे तथा उक्त नौरंग ने अपनी खातेदारी भमि के साथ ही उक्त भूमि का कब्जा सायल न0 2 के पिता खेताराम पुत्र गणेशाराम को सौंप दिया तथा उक्त वादर्ग्रस्त भूमि साबिका खसरा न0 51 की 14.05 बीघा में 10 बीघा भूमि पहले सायल न0 1 के पिता श्योदान पुत्र शेराराम सम्वत 2012 से पहले काश्त करते आ रहा था तथा शेष 4.05 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पहले नौरंग व उसके पश्चात सायल न0 2 का पिता खेताराम पुत्र गणेशाराम व सायल न0 2 मालाराम पुत्र खेताराम काश्त करता आ रहा है सायलान व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर लगातार 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के वे प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार है। किसी प्राईवेट व्यक्ति की कृषि भूमि पर 12 वर्ष से ज्यादा समय तक कब्जा बना रहता है तो वे कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो जाते है तथा उनसे कब्जा प्राप्त करने की Remedy राजस्थान काश्तकार अधिनियम में उपलब्ध नही है तथा वे कब्जा के आधार पर स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी साबिका खसरा न0 51 ... बीघा वाके रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर जिसके हाल खसरा न0 217 की 1.0750 हैक्ट यानि 4.05 बीघा खसरा न0 218

उपखण्ड अधि... नोहर

की 2.5300 हैक्ट यानि 10 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है जो सायलान न0 1 व 2 के बुजुर्गान के समय सम्वत 2012 से पहले से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर जिसके हाल खसरा न0 217 की 1.0750 हैक्ट यानि 4.05 बीघा व खसरा न0 218 की 2.5300 हैक्ट यानि 10 बीघा गैरसायलान न0 1 ता 3 के पिता व पति मन्शाराम गवारिया निवासी पाण्डुसर किसी नियम विरूद्ध आदेश के आधार पर गैर सायलान के कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली तथा गैरसायल न0 1 ने उक्त गलत अंकन जमाबंदी राजस्व रिकार्ड के आधार पर एक बैयनामा दिनांक 04.07.2023 को माया पत्नी परसाराम जाति नायक साकिन खुंईया के पक्ष में एक बैयनामा करवा दी जिससे क्रेता माया को बिना कब्जा कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होते है। गैरसायलान संख्या 1 ता 4 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। गैरसायलान उक्त गलत इन्द्राज जमाबंदी के आधार पर वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को फरोख्त करने तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित करने तथा सायलान के कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि में मदाखलत बेजा करने की ऐलानिया धमकी दे रहे है गैरसायलान का उक्त मकसद पुरा होने से सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ निषेधाज्ञा पारित की जावे कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 229/232 के खसरा न0 217 की 1.0750 हैक्ट व खसरा न0 218 की 2.5300 हैक्ट कुल 3.6050 हैक्ट भूमि को कोई भाग किसी अन्य को को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 229/232 के खसरा न0 217 की 1.0750 हैक्ट व खसरा न0 218 की 2.5300 हैक्ट कुल 3.6050 हैक्ट वाद भूमि की यथास्थिति बनाए रखे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया की उक्त वाद भूमि को सम्वत 2012 से पहले सायल न0 1 के पिता श्योदान पुत्र शेराराम एवं सायल न0 2 के दादा के मामा काश्त करते थे तथा उनके फौत होने के बाद उनके वारिस उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। सायलान व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा 100 वर्षो से चला आ रहा है उक्त भूमि के वे प्रतिकुल कब्जा के आधार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में कब्जा एक महत्वूर्ण बिन्दु है। इसलिए मौका पर कब्जा के संबंध में भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि की मौका पर कब्जा काश्त की मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया की गैरसायलान अनुसुचित जाति के व्यक्ति है तथा सायलान स्वर्ण जाति के होने के कारण सायलान किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। गैरसायलान हमेशा से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वाद भूमि पर कब्जा साक्ष्य एवं सबूत से साबित होना है जो कि गैरसायलान बखुबी रिकार्ड से साबित कर रहे है। वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट कमीश्नर से नही मंगवाई जा सकती है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की सायलान व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा 100 वर्षो से चला आ रहा है उक्त भूमि के वे प्रतिकुल कब्जा के आधार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में कब्जा एक महत्वूर्ण बिन्दु है। इसलिए मौका पर कब्जा के संबंध में भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि की मौका पर कब्जा काश्त की मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र में कोई भी साक्ष्य साबित करना है तो प्रार्थी स्वयं साबित करें अब प्रार्थना पत्र बहस में विचाराधीन है तब इनके द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु मौका कमिश्नर को नियुक्त कर मौका की रिपोर्ट हेतु निवेदन किया है जो कि न्यायसंगत नही है। प्रकरण में जानबुझकर देरीना करने चाहते है। गैरसायलान अनुसुचित जाति के है तथा सायलान स्वर्ण जाति के है तथा वाद भूमि पर गैरसायलान काबिज है एवं प्रतिकुल कब्जा के आधार पर मौका रिपोर्ट नही मंगवायी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र मौका निरीक्षण बाबत आर्डर 39 नियम 7 सीपीसी खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस प्रा0पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पर मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण बहस की स्थिति पर आने प्रतिकुल कब्जा हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की रिपोर्ट हेतु निवेदन किया है जो कि न्याय संगत नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा मूल दावा में तय होने है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट में तो केवल यह तय होना है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की वि[illegible] [illegible] का कभी कब्जा नही रहा है उक्त वाद भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त की भूमि [illegible] एवं [illegible]रसायलान के कब्जा काश्त में होने के कारण दिनांक 29.11.1975 को गै[illegible] [illegible] कर दी गई एवं वादग्रस्त भूमि पर आवंटन से पूर्व एवं वर्तमान में लगातार कब्जा [illegible]श्त में है वादग्रस्त भूमि पर सायलान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कभी भी कब्जा नही रहा है अनुसुचित जाति की गरीब परिवार की कृषि भूमि को हड़पने करने की नियत से सायलान ने प्रार्थना पेश किया है जो की खारिज योग्य है। गैरसायलान अनुसुचित जाति के है इनके नाम दर्ज भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का प्रतिकुल कब्जा नही माना जा सकता है। गैरसायलान जो की अनुसुचित जाति के व्यक्ति है को दिनांक 9.11.1975 को उक्त वाद भूमि आवंटित हुई तथा आवंटिन के दस वर्ष पूर्ण होने के बाद खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। गैरसायलान अनुसुचित जाति के व्यक्ति है एवं सायलान स्वर्ण जाति के व्यक्ति है तथा अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी नही दिये जा सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थी सं0 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 229/232 की कुल 3.6050 हैक्ट भूमि में से 1.2060 हैक्ट भूमि उत्तरदाता/गैरसायल स0 4 ने गैरसायल स0 1 को समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है तथा वादग्रस्त भूमि पर रजिस्टर्ड बैयनामे के समय कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा वादग्रस्त भूमि पर उत्तरदाता स0 4 काबिज है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2013 पेज न0 194 ता 196, आर0बी0जे0 2010 पेज न0 541 ता 543, आर0बी0जे0 2008 पेज न0 701 ता 708, आर0आर0टी0 2021(2) पेज न0 1107 ता 1110, आर0आ0टी0 2019(1) पेज न0 551 ता 554, आर0आ0टी0 2018–19 पेज न0 193 ता 198, आर0आ0टी0 2019(2) पेज न0 893 ता 896, आर0आ0टी0 2019(2) पेज न0 8, आर0आ0टी0 2020(2) पेज न0 794 ता 805 आदि पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया।

पत्रावली के गहन अध्ययन के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है हक अधिकारों की घोषणा तो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मूल दावा में तय होने है की वाद भूमि में प्रार्थीगण हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 229/232 के खसरा न0 217 की 1.0750 हैक्ट व खसरा न0 218 की 2.5300 हैक्ट कुल 3.6050 हैक्ट भूमि के अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण का कथन है कि सम्वत 2012 से प्रार्थीगण के पूर्वज एवं वर्तमान में प्रार्थीगण स्वयं काबिज है तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तो उक्त बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होने है।

अप्रार्थीगण वर्तमान में उक्त वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण अनुसूचित वर्ग के है। अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 04.07.2023 से प्रमाणित है कि उक्त वाद भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अप्रार्थी स0 1 को समस्त प्रतिफल देकर अप्रार्थी सं0 4 द्वारा क्रय की गई है। रजिस्टर्ड बैयनामें

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:14 IST
Reason: SelfAttested

के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन होने से प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागु नही होता है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा जारी होती है तो अपूर्णीय क्षति भी रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:14 IST
Reason: SelfAttested